उत्तर रेलवे

आज़ादी का अमृत महोत्सव

निविदा सूचना सं. 24/2024-2025 दिनांक: 14.06.2024

इलेक्ट्रॉनिक निविदा ई प्रणाली के अंतर्गत मदों की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली–110001 द्वारा इच्छुक फर्मों से निम्नलिखित मदों के लिए ई–निविदा आमंत्रित की जाती है:–

क्र.सं.	निविदा सं.	संक्षिप्त विवरण	मात्रा	अंतिम तिथि
01	19240288	आई ओ एच किट फॉर एल्गी कंप्रेसर टाइप	133 सेट	15.07.24
02	16244508	सेरेमिक रेसिस्टर फॉर गवर्नर	31 नग	15.07.24
03	09242365	495-4 ए विपक ड्रा फॉर बी एल सी वैगन	51 नग	22.07.24
04	09242417	पिन	49608 नग	20.08.24
05	07240089	इंजेक्शन मोल्डेड थर्मोप्लास्टिक पॉलीस्टर एलास्टोमर एक्सल बॉक्स फ्रंट कवर	8594 नग	29.08.24

निविदा शर्ते:- 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानि **www.ireps.gov.in** पर देखी जा सकती है। 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं की जाएगी।

1815/24

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

OMKARA

पंजीकृत कार्यालयः नं. 9, एम.पी. नगर, प्रथम स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर 641607। कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर पश्चिम, मुंबई 400 028 दूरभाषः 022–69231111

[परिशिष्ट – IV–I] [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित

सामान्य जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता मेसर्स एंडीज टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड और गारंटर श्री परेश रस्तोगी, श्री पीयूष रस्तोगी, श्री पंकज रस्तोगी और श्री दीपक रस्तोगी और बंधककर्ता श्रीमती कृष्णा देवी और श्रीमती रानी देवी को इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां सुरक्षित लेनदार (पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल)) को बंधक रखी गई हैं, जिसका प्रतीकात्मक कब्जा सुरक्षित लेनदार होने के नाते पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अब ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है) के अधिकृत अधिकारी ने ले लिया है। इसके बाद, ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) (ओमकारा पीएस 03/2023–24 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) ने 30 मार्च 2024 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के जरिए उपरोक्त उधारकर्ता/गारंटर के खिलाफ लंबित संपूर्ण बकाया ऋण को अंतर्निहित सुरक्षा के साथ पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल) से हासिल कर लिया है। तदनुसार, वर्णित अचल संपत्ति को 'जहां है जैसी है', 'जो है जैसी है', और 'जो कुछ भी है' और 'बिना किसी सहारे के' आधार पर 22 जुलाई, 2024 को सुबह 11 बजे बेचा जाएगा, ताकि 31.01.2024 तक रु. 2,02,22,24,046/– (दो सौ दो करोड़ बाईस लाख चौबीस हजार छियालीस रुपये मात्र) की बकाया राशि, साथ ही 01 फरवरी, 2024 से प्रभावी ब्याज और व्यय की वसूली की जा सके, जो कि उपरोक्त उधारकर्ता/गारंटर से ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को देय है।

आरक्षित मूल्य 37,00,00,000 रुपये (केवल सैंतीस करोड़ रुपये) होगा और बयाना राशि 37,00,000 रुपये (केवल सैंतीस लाख रुपये) होगी। संपत्तियां सरफेसी अधिनियम के प्रावधाना. के तहत अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेची जाएंगी। अचल संपत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि और ज्ञात भार (यदि कोई हो) इस प्रकार हैं:

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
लखनऊ के शेखपुर–कसैला, फैजाबाद रोड पर खसरा संख्या 131, प्रवेश 32,879 वर्ग फीट भूमि के भूखंड का हिस्सा बंधक रखी गई संपत्ति का पूरा टुकड़ा, साथ ही उस पर होने वाला पूरा वर्तमान और भविष्य का निर्माण, जिसका स्वामित्व श्रीमती रानी देवी पत्नी श्री जवाहरलाल रस्तोगी और श्रीमती कृष्णा देवी के पास है।	रु. 37,00,00,000/–	रु. 37,00,000/–

ई–नीलामी की तिथि	22 जुलाई 2024, सोमवार सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
निरीक्षण तिथि	15 जुलाई, 2024, सोमवार समय दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक
न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	25,00,000/– (केवल पच्चीस लाख रुपये)
भागीदारी के बोली पत्र/केवाईसी दस्तावेज/ईएमडी का प्रमाण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	20 जुलाई 2024, शनिवार शाम 4:00 बजे तक

नीलामी ओएआरपीएल द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। बोली (ऑनलाइन और हार्ड कॉपी में) जमा करने की अंतिम तिथि ईएमडी (डीडी/पे ऑर्डर मूल रूप में या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषण) के साथ 20 जुलाई 2024, शनिवार शाम 4:00 बजे तक है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://omkaraarc.com/auction.php या https://www-bankeauctions.com, पर दिए गए लिंक को देखें। इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा कर दी है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई–बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता है, वे ई–नीलामी सेवा प्रदाता ष्मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड', टेलीफोन से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइनः +91–7291981124/25/26, हेल्पलाइन ई–मेल आईडीः support@bankeauctions.com,या श्री भाविक पंड्या, मोबाइलः 8866682937 ई–मेल maharashtra@c1india.com, और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारी, श्री अनिकेत जोशी, मोबाइलः +91 9869026887 ई–मेलः aniket.joshi@omkaraarc.com से संपर्क करें।

वैधानिक हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री के लिए वैधानिक सूचना

यह नोटिस सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता/गारंटर को 30 (तीस) दिनों का अनिवार्य नोटिस भी है, जिसमें उन्हें उपरोक्त दिनांक और समय पर सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बिक्री के आयोजन के बारे में सूचित किया जाता है। यदि वे चाहें तो परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए, SARFAESI अधिनियम की धारा 13(8) के तहत निर्धारित समय के भीतर लागत और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करके सलाह दी जाती है। भुगतान में चूक के मामले में, संपत्ति को प्राधिकृत अधिकारीध्सुरक्षित ऋणदाता के विवेक पर सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के तहत निर्धारित किसी भी तरीके से बेचा जाएगा।

दिनांकः 15–06–2024
स्थानः मुंबई

हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी,
ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(ओमकारा पीएस 03/2023–24 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए)
श्री अनिकेत जोशी, मोबाइलः +91 9869026887

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी–7
सैक्टर 3 नोएडा उ.प्र. 201301

सार्वजनिक प्रकाशन के माध्यम से वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार द्वारा बैंक से प्राप्त की गई ऋण सुविधाएं की प्रधान राशि और ब्याज की पुनः अदायगी में चूक की है तथा कथित सुविधाओं को नीचे वर्णित प्रत्येक खाते के अंतर्गत नॉन–परफॉर्मिंग असैट्स के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत कर्जदार/गारंटरों को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर नोटिस जारी किए थे, तथापि नोटिस अवितरित वापिस आ गए है और प्राधिकृत अधिकारी को विश्वास का कारण है कि कर्जदार/गारंटर नोटिस की सेवाओं से बच रहे है, इसलिए उन्हें इस नोटिस के बारे में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है।

शाखा और कर्जदार /गारंटर के नाम	प्रतिभूतित परिसंपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	एनपीए की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया
शाखाः शादीपुर (दिल्ली) 1. **संतोष पांडे पुत्र बिसंभर पांडे (उधारकर्ता)** मकान नंबर डी–1/49, राम विहार, बंथला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102, 2. **प्रीति पांडे पत्नी संतोष पांडे** (सह–उधारकर्ता/गारंटर) मकान नंबर डी–1/49, राम विहार, बंथला, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201102, यहां भीः मकान नंबर 58, मीरा बाई पॉलिटेक्निक कैंपस, महारानी बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, साउथ दिल्ली, दिल्ली – 110025 आवास ऋण (खाता संख्या 2211220240000012)	ग्राम बंथला, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित 50 वर्ग गज क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति, प्लॉट संख्या 50, ब्लॉक–डी में, खसरा संख्या 243 में से, राम एन्क्लेव के सभी अनिवार्य अंग। जिसकी सीमाएं नीचे अनुसार है, सीमाबद्धः पूर्वः रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिमः अन्य मालिक का प्लॉट, उत्तरः अन्य मालिक का प्लॉट, दक्षिणः अन्य मालिक का प्लॉट। **प्रीति पांडे पत्नी संतोष पांडे** से संबंधित संपत्ति अर्थात आप सब में सं. 2 पर है। रेहन दिनांक 29.12.2022 के सृजन के लिए शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन।	10.10.2023	08.09.2023	11,20,985/– रु. जो 09.10.2023 को देय है जमा 10.10.2023 से अनुबंधीय दर पर ब्याज व अन्य प्रभार।
शाखाः राज नगर 1. **नूर मोहम्मद उर्फ @नूर मोहम्मद** (उधारकर्ता) पुत्र मोहम्मद इलियाश उर्फ @ मोहम्मद इलियास उर्फ @इलियास, वार्ड नं. 5, बाबू गढ़ छावनी, लालपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–245201, 2. **आमना उर्फ @ आमना अलीमन** (सह–उधारकर्ता/गारंटर) पत्नी इलियास उर्फ @मोहम्मद इलियास उर्फ @मोहम्मद इलियास, नगर पंचायत बाबूगढ़, छावनी, जिलाः हापुड़, चक्रसनपुर, बाबूगढ़, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–245201। आवास ऋण (खाता संख्या 2210210050000037)	शंकर विहार, ब्लॉक–सी, गांव चिपियाना बुजुर्ग, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति फ्लैट संख्या ए–2 का ऊपरी भूतल, सामने की ओर, प्लॉट संख्या 84 पर 52 वर्ग गज (43.47 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल, खसरा संख्या 167/1 में से 200 वर्ग गज यानी 167.22 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के सभी अनिवार्य अंग। जिसकी सीमाएं नीचे अनुसार है, सीमाबद्धः पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 83, उत्तरः प्लॉट नं. 83, दक्षिणः रेलवे। **नूर मोहम्मद उर्फ @नूर मोहम्मद** से संबंधित संपत्ति अर्थात आप सब में सं. 1 पर है। रेहन दिनांक 02.12.2022 के सृजन के लिए शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन।	13.05.2024	09.04.2024	10,36,974/– रु. जो 29.04.2024 को देय है जमा 30.04.2024 से अनुबंधीय दर पर ब्याज व अन्य प्रभार।
शाखाः अलीगढ़ (यूपी) 1. **शकील पुत्र सलीम उर्फ @सलीम (उधारकर्ता)** 373, नगला मसानी, खैर रोड, मस्जिद वाली गली, हरिजन चौराहा, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202001, 2. **मो. अकील पुत्र सलीम उर्फ @सलीम** (सह–उधारकर्ता/गारंटर) 544, नगला मसानी, खैर रोड, मस्जिद वाली गली, हरिजन चौराहा, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश– 202001, अन्य स्थानः 373, नगला मसानी, खैर रोड, मस्जिद वाली गली, हरिजन चौराहा, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश– 202001, 3. **सलीम पुत्र वहाबुद्दीन (सह–उधारकर्ता/गारंटर)** 373, खैर रोड, नगला मसानी, मस्जिद वाली गली, हरिजन चौराहा, कोइल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202001 **एमएसई ऋण** (खाता संख्या 226980100000002)।	मकान संख्या 5/275, नगला मसानी, खैर रोड, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय मकान, जिसका क्षेत्रफल 70 वर्ग गज (58.52 वर्ग मीटर) के सभी अनिवार्य अंग के साथ इमारतों, संरचनाओं और उन पर सभी सुधारों। जिसकी सीमाएं नीचे अनुसार है, सीमाबद्धः पूर्वः रोड, पश्चिमः हबीब का मकान, उत्तरः वहाजुद्दीन का मकान, दक्षिणः नाथी चौबे का मकान। **श्री सलीम** से संबंधित संपत्ति अर्थात आप सब में सं. 3 पर है। रेहन दिनांक 16.09.2015 के सृजन के लिए शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन।	14.05.2024	05.09.2018	1,12,639/– रु. जो 10.05.2024 को देय है जमा 11.05.2024 से अनुबंधीय दर पर ब्याज व अन्य प्रभार।
शाखाः अलीगढ़ (यूपी) 1. **अकबरी पत्नी छोटे @ छोटे (उधारकर्ता)** 235, गली नंबर 08, जीवनगढ़, कोइल, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश – 202001, 2. **छोटे @ छोटे पुत्र बकर अली** (सह–उधारकर्ता/गारंटर) 235, गली नंबर 08, जीवनगढ़, कोइल, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश–202001, **आवास (खाता संख्या 226921017000071)**	मोहल्ला जीवनगढ़, परगना और तहसील कोइल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में स्थित नगर निगम संख्या 4/665 और नई संख्या 4/665एम–3 वाली फ्री होल्ड आवासीय संपत्ति, छत के अधिकार के साथ भूतल, 91 वर्ग गज या 76.08 वर्ग मीटर के सभी अनिवार्य अंग। जिसकी सीमाएं नीचे अनुसार है, सीमाबद्धः पूर्वः हानी की संपत्ति, पश्चिमः ताजुद्दीन की संपत्ति, उत्तरः मीना की संपत्ति, दक्षिणः सड़क। **अकबरी** से संबंधित संपत्ति अर्थात आप सब में सं. 1 पर है। रेहन दिनांक 29.02.2023 के सृजन के लिए शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन।	23.04.2024	09.03.2024	10,58,880/– रु. जो 07.04.2024 को देय है जमा 08.04.2024 से अनुबंधीय दर पर ब्याज व अन्य प्रभार।
शाखाः मेरठ (यूपी) 1. **मेसर्स जेनुइन ए.आर.टी. ब्रश (उधारकर्ता)** इसके मालिक फकरुद्दीन उर्फ @फकरुद्दीन के माध्यम से खसरा नंबर 3063, श्याम नगर, फातमा मस्जिद के सामने वाली गली, लखीमपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002, 2. **फकरुद्दीन उर्फ @फकरुद्दीन पुत्र अनवर** (सह–उधारकर्ता/गारंटर) खसरा नंबर 3063, श्याम नगर, फातमा मस्जिद के सामने वाली गली के सामने, लखीमपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002, 3. **उस्मान पुत्र अनवर** (सह–उधारकर्ता/गारंटर) 217, किनानगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250004, 4. **रहीसा उर्फ @रईसा पत्नी अनवर** (सह–उधारकर्ता/गारंटर) मकान नंबर 222, गांव और पोस्टः किना नगर, थाना/पीएसः भवनपुर, गढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002, 5. अफशाना पत्नी फकरुद्दीन @ फकरुद्दीन (सह–उधारकर्ता/गारंटर) खसरा संख्या 3063, श्याम नगर, फातमा मस्जिद के सामने वाली गली, लखीमपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002, **एमएसई सुरक्षित ऋण (खाता संख्या 2220210090000047)**	मोहल्ला लखीमपुरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित खसरा संख्याः 3063, 3066 और 3071 से संबंधित 60 वर्ग गज यानी 50.16 वर्ग मीटर का आवासीय मकान के सभी अनिवार्य अंग। जिसकी सीमाएं नीचे अनुसार है, सीमाबद्धः पूर्वः रोड, पश्चिमः छोटे खां का मकान, उत्तरः विक्रेता का प्लॉट, दक्षिणः रोड। 4. **रहीसा उर्फ @रईसा पत्नी अनवर** से संबंधित संपत्ति अर्थात आप सब में सं. 4 पर है। रेहन दिनांक 29.09.2022 के सृजन के लिए शीर्षक विलेख के जमा का ज्ञापन।	16.05.2024	05.05.2024	16,62,767/– रु. जो 13.05.2024 को देय है जमा 14.05.2024 से अनुबंधीय दर पर ब्याज व अन्य प्रभार।

उपरोक्त कर्जदारों/गारंटरों को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंदर नोटिस में वर्णित राशि अदा करने की सलाह दी जाती है जिसमें असफल होने पर नोटिस की तिथि से 60 दिन बाद वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनः निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कर्जदारों/गारंटरों को किसी तरीके से, जो कुछ भी हो, के माध्यम से बिना बैंक की सहमति के बिना उपरोक्त वर्णित प्रतिभूतित परिसंपत्तियों के साथ लेन देन करने से एतद्द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। यह सूचना बैंक को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार के पूर्वाग्रह के बिना है और अधिनियम तथा/या अन्य प्रभावी कानून के अधीन है।

दिनांकः 14.06.2024 **स्थानः दिल्ली और उत्तर प्रदेश** **प्राधिकृत अधिकारी**

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

TATA

पंजीः कार्यालयः 11 वॉ तल, टावर ए,पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400013 CIN No.U067190MH2008PLC187552

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागतों आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनांस के लिये लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पनियों को विमोचित करने के लिये अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ठ की जाती है।

ऋण खाता सं.	देनदार सांविधिक उत्तराधिकारियों/सांविधिक प्रतिनिधियों का नाम	बकाया राशि एवं सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि
10471911	श्री अमित शर्मा, पुत्र राम दास (ऋणधारक के रूप में एवं श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी रामदास (सह-ऋणधारक के रूप में।	रू.18,24,876 (रू.अठारह लाख चौबीस हजार आठ सौ छियत्तर मात्र)	11.6.2024

प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों का विवरणः बिक्री प्रलेख में वर्णित सभी सामूहिक सुविधाओं के साथ लोहिया नगर आवास योजना, सी.बी. गंज, बरेली–243001 (उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय यूनिट/फ्लैट नं एस–3, प्रथम तल, प्लॉट नं.114, माप 19.84 वर्ग मी. निर्मित एरिया 59.54 पर निर्मित, का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहदीः पूर्व** : प्लॉट नं. 113, **पश्चिम** : प्लॉट नं. 115, **उत्तरः** प्लॉट नं. 99, **दक्षिण** : फ्लैट नं. एफ–2 एवं सामूहिक पैसेज।

तिथिः 15–6–2024
स्थानः बरेली (उत्तर प्रदेश)

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
टाट कैपिटल हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के लिये

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

(कंपनी (निगमीकरण) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में)
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेतु
समाचारपत्र में प्रकाशित किया जानेवाला विज्ञापन

केंद्रीय शासन (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13(4) तथा कंपनी (निगमीकरण)
नियमावली 2014
के नियम 30(6)(ए) के प्रकरण में
तथा

मैसर्स एस एंड एम हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में, जिसका पंजीकृत कार्यालय : ''ब्लॉक–01, IX–3974–ए, प्रथम तल, गली नं.–14, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली–110031, भारत में स्थित है।''

याचिकादाता

........आवेदक कंपनी /

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय शासन, शक्तियाँ क्षेत्रीय निदेशक को सौंपी गयीं हैं, के पास एक आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है, जिसमें शुक्रवार 14 जून 2024 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के निबंधनों के अनुसार कंपनी के संस्था के ज्ञापन के परिवर्तन के पुष्टिकरण की इच्छा प्रकट की गई है, ताकि कंपनी, अपने पंजीकृत कार्यालय को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (राराक्षे) दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश के राज्य'' में परिवर्तित करने में समर्थ हो सके।

कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा संभवतः प्रभावित हो सकता है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिवसों की समयावधि के अंदर, अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों का उल्लेखन करनेवाले एक शपथपत्र द्वारा अनुसमर्थित अपनी आपत्ति/यों को सौंप दे अथवा मूल प्रति को ''क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र को इसके पते : बी–2 स्कंध, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003'' को प्रेषित कर दे अथवा स्वयं जाकर दे आये अथवा इस पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर दे। साथ ही इस सूचना की एक प्रति, आवेदक कंपनी को निम्न वर्णित पते पर स्थित इसके पंजीकृत कार्यालय को भी प्रेषित कर दे :

''ब्लॉक–01, IX–3974–ए, प्रथम तल, गली नं.–14, शांति मोहल्ला, गांधी नगर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली – 110031, भारत''

एस एंड एम हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड
हेतु तथा उसकी ओर से
पुनीत अग्रवाल
(निदेशक)
डीआईएन : 01629563

दिनांक : 14–06–2024
स्थान : नई दिल्ली

रेलटेल

(भारत सरकार का उपक्रम)
(सीआईएन सं: U64202DL2000GOI107905)

निविदा संख्या : रेलटेल/टेंडर/ओटी/ईआर/एचक्यू/ **2024-25/1534-1535**, दिनांक: **14.06.2024**

रेलटेल/पूर्वी क्षेत्र ''असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में गेल (इंडिया) लिमिटेड के विभिन्न कार्यालयों की लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए डार्क फाइबर लिंक को किराए पर लेना'' के कार्य हेतु पात्र बोलीदाताओं से ई-बोलियां आमंत्रित करता है।

विस्तृत निविदा सूचना / निविदा दस्तावेज **https://www.railtel.in**, **https://eprocure.gov.in** और **https://railtel.enivida.com** पर उपलब्ध है। भविष्य के सभी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र आदि को रेलटेल वेबसाइट, सीपीपी पोर्टल और ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को केवल ई-निविदा पोर्टल पर अपनी बोली जमा करनी होगी।

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA

MAHENDERGARH - 123031 (HARYANA)

ADVERTISEMENT FOR CONTRACTUAL POSITIONS

Applications are invited from eligible candidates for the positions of **Contractual Positions** under **UGC - MMTTC, CUH** on purely contractual basis for a period of 06 months & will be extended after every 06 months till March, 2026 or completion of the project. The detailed advertisement is available on the website **www.cuh.ac.in. The last date will be 21 days from the date of publishing of advertisement.**

Sd/-Director, MMTTC

सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा–102 के अंतर्गत)

मैसर्स बिमला मारू फैशन प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर श्री योगेश माहेश्वरी के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, न्यायालय–III, नई दिल्ली ने आईबीसी, 2016 की धारा 100 के अंतर्गत सीपी सं. (आईबी)–46(एनडी)/2022 और आईए–428/2024 में श्री योगेश माहेश्वरी, निवासी डी–5/3, चतुर्थ तल, राधाधाम सोसाइटी, चैतन्य विहार फेज I, वृंदावन, उत्तर प्रदेश–281121 (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) के विरुद्ध अर्थात दिनांक 13.06.2024 को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

श्री योगेश माहेश्वरी, के लेनदारों को इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर अर्थात 06.07.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबूत के साथ एनसीएलटी, कोर्ट– III, नई दिल्ली द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल श्री परमजीत सिंह भाटिया को इस पते सी–39, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201011, मेल आईडी– bhatiaparam.s@gmail.com , पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदारों को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान पेशेवर के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **06.07.2024** होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्न लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:

https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

नोटः सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास की सजा दी जाएगी।

तिथि 15–06–2024
स्थानः गाजियाबाद

हस्ता/–
परमजीत भाटिया
समाधान पेशेवर–
श्री योगेश माहेश्वरी की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के मामले में,
मैसर्स बिमला मारू फैशन प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर
आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00961/2017-2018/11582
पंजीकृत ईमेल आईडीः bhatiaparam.s@gmail.com, मो. 9920128849
पत्राचार पताः सी–39, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201011
एएफए वैधता 21.12.2024 तक

सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा–102 के अंतर्गत)

मैसर्स बिमला मारू फैशन प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर श्री गोपाल दास माहेश्वरी के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, न्यायालय–III, नई दिल्ली ने आईबीसी, 2016 की धारा 100 के अंतर्गत सीपी सं. (आईबी)–49(एनडी)/2022 और आईए–330/2024 में श्री गोपाल दास माहेश्वरी, निवासी डी–5/3, चतुर्थ तल, राधाधाम सोसाइटी, चैतन्य विहार फेज I, वृंदावन, उत्तर प्रदेश–281121 (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) के विरुद्ध अर्थात दिनांक 13.06.2024 को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

श्री गोपाल दास माहेश्वरी के लेनदारों को इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर अर्थात 06.07.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबूत के साथ एनसीएलटी, कोर्ट– III, नई दिल्ली द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल श्री परमजीत सिंह भाटिया को इस पते सी–39, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201011, मेल आईडी– bhatiaparam.s@gmail.com , पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदारों को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान पेशेवर के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **06.07.2024** होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्न लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:

https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

नोटः सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास की सजा दी जाएगी।

तिथि 15–06–2024
स्थानः गाजियाबाद

हस्ता/–
परमजीत भाटिया
समाधान पेशेवर–
श्री गोपाल दास माहेश्वरी की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के मामले में,
मैसर्स बिमला मारू फैशन प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर
आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00961/2017-2018/11582
पंजीकृत ईमेल आईडीः bhatiaparam.s@gmail.com, मो. 9920128849
पत्राचार पताः सी–39, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201011
एएफए वैधता 21.12.2024 तक

ADITYA BIRLA CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात 362266
शाखा कार्यालयः कमरा नं. 401, चौथी मंजिल, कैमक स्क्वायर, 24, कैमक स्ट्रीट, कोलकाता – 700016
शाखा कार्यालयः 2मंजिल, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110001

''परिशिष्ट-IV-ए''

(नियम 8(6) परंतुक देखें)

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002(2002 का 54) के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, बंधकों एवं गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई हैं,जिसका भौतिक कब्जा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। इसको उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं से सुरक्षित लेनदार अर्थात् मेसर्स राहुल ट्रेडिंग कंपनी, नवनीत गुप्ता, लीना गुप्ता, चंदर गुप्ता, नीलम गुप्ता और मेसर्स सी.जी. ट्रेडिंग कंपनी से **रु.6,15,62,724.82/– (छह करोड़ पंद्रह लाख बासठ हजार सात सौ चौबीस और बायसी पैसे मात्र)** (यह राशि टीडीएस गणना और पूर्व भुगतान शुल्क, जैसा लागू हो, को छोड़कर है) 28.04.2023 तक देय है और सुरक्षित लेनदार को वसूली की तारीख तक ब्याज और अन्य खर्च देय की वसूली हेतु **23.07.2024** को **'' जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है '' और ''जो कुछ भी है''** पर बेचा जाएगा। उपरोक्त राशि में टीडीएस गणना और पूर्व भुगतान शुल्क शामिल नहीं है।

आरक्षित **मूल्य 3,25,36,912/– रुपये (तीन करोड़ पच्चीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ बारह रुपये मात्र) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार होगा:**

संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि
अपार्टमेंट नं. कोरल–802, 8वीं मंजिल, कोरल टॉवर, ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स–ओरानिया, सेक्टर–53, गुरुग्राम, हरियाणा	रु. 3,25,36,912/– (रुपये तीन करोड़ पच्चीस लाख छत्तीस हजार नौ सौ बारह मात्र)	रु. 32,53,691.2/– (रुपये बत्तीस लाख तिरपन हजार छः सौ इक्यावन और दो पैसे)

अचल संपत्ति का विवरणः

गांव वजीराबाद,सेक्टर–53, तहसील और जिला गुरुग्राम (हरियाणा) की राजस्व संपदा में स्थित ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बहुमंजिला टॉवर कोरल में 8वीं मंजिल पर स्थित है, जिसे 'ओरानिया' के नाम से जाना जाता है, में आवासीय अपार्टमेंट क्रमांक कोरल–802, जिसका अनुमानित सुपर एरिया 192.8 वर्ग मीटर (यानी लगभग 2074 वर्ग फीट) है, जिसमें एक कार पार्किंग स्थान क्रमांक–ए–7 है, साथ ही उक्त भवन के नीचे की भूमि में अविभाजित आनुपातिक हित है, जिसमें उक्त अपार्टमेंट स्थित है, जिसकी गणना उक्त अपार्टमेंट के सुपर एरिया के अनुपात में सभी अपार्टमेंट के कुल सुपर एरिया से की जाती है। उक्त भवन में अपार्टमेंट/यूनिटें श्रीमती लीना गुप्ता के स्वामित्व में हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट https://mortgagefinance.adityabirlacapital.com/Pages/Individual/Properties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspx or https://sarfaesi.auctiontiger.net में दिए गए लिंक को देखें।

दिनांकः 15.06.2024
स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा

हस्ता /–
(प्राधिकृत अधिकारी)
कृते आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :–502, टावर–ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013
सर्किल कार्यालय :– 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110060

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीएचएफएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
1.	(हमारी मयूर विहार शाखा की ऋण खाता संख्या LNHLNO1000090475) बालक राम बी (कर्जदार) श्रीमती सीमा देवी, अजीत (सह–कर्जदार)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान नंबर बी–41–सी, क्षेत्रफल परिमाप 200 वर्ग गज यानी 167.22 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1611 मिन, स्थित आवासीय कालोनी राम विहार, ग्राम लोनी (चकबंदी क्षेत्र), परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102. चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : राजू का प्लॉट, पश्चिम : इंदरपाल का मकान, उत्तर : 40 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण : 10 फीट चौड़ा रास्ता	09–01–2024 रू. 34,00,675/–	12–06–2024 (सांकेतिक)
2.	(हमारी गाजियाबाद शाखा की ऋण खाता संख्या LNCGCGZBTL0000007680) रणजीत सिंह यादव (कर्जदार) सुंदर सिंह यादव, श्रीमती रामवती देवी (सह–कर्जदार)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति क्षेत्रफल परिमाप 345 वर्ग गज यानी 288.45 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 325/1, ग्राम हरसाऊ, परगना डासना, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001. चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : भवर सैन का मकान, पश्चिम : बदन सिंह की कृषि भूमि, उत्तर : विक्रेता द्वारा छोड़ी गई रोड 5.5 फीट, दक्षिण : श्री कालू की सम्पत्ति	12–01–2024 रू. 11,49,264/–	12–06–2024 (सांकेतिक)
3.	(हमारी गाजियाबाद शाखा की ऋण खाता संख्या LNHLGHB000084252) तनुज कुमार (कर्जदार) श्रीमती हेमलता एच (सह–कर्जदार)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय फ्रीहोल्ड फ्लैट नंबर एफएफ–2, क्षेत्रफल परिमाप 477 वर्ग फीट यानी 44.31 वर्ग मीटर, प्रथम तल, फ्रंट आरएचएस, छत के बगैर, एमआईजी, प्लॉट नंबर ए–2, खसरा नंबर 211 का भाग, रेल विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड, ग्राम सादुल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश. चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : फ्लैट नंबर एफएफ–1/फ्लैट नंबर ए–3, पश्चिम : खुला प्लॉट नंबर ए–1, उत्तर : 40 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण : प्रवेश/जीना/फ्लैट नंबर एफएफ–3/अन्य का फ्लैट	05–04–2024 रू. 17,59,187/–	11–06–2024 (सांकेतिक)

स्थान : दिल्ली, एनसीआर, तिथि : 15–06–2024 हस्ता./–, (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल)

एस्कोर्ट्स लिमिटेड एम्पलॉयीज प्रोविडेन्ट फंड ट्रस्ट के सदस्यों के लिये सूचना

एतद्वारा एस्कोर्ट्स लिमिटेड एम्पलॉयीज प्रोविडेन्ट फंड ट्रस्ट (ट्रस्ट) अर्थात कोड नं. डीएल/776 के अंतर्गत एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड (पूर्व में एस्कोर्ट्स लिमिटेड) द्वारा स्थापित ट्रस्ट के सदस्यों (पूर्व–सदस्यों सहित) को सूचित किया जाता है कि, उसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली सेन्ट्रल, भविष्य निधि भवन, 28 कम्युनिटी सेन्टर, वजीरपुर इंड. एरिया, नई दिल्ली–110052 के पास 1.4.2023 से समर्पित कर दिया गया था।

हम पुनः सूचित करना चाहते हैं कि यदि किसी सदस्य/पूर्व–सदस्य की अंशदान राशि ट्रस्ट के पास दावा–रहित पड़ी थी तो उसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 1, दिल्ली सेन्ट्रल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भविष्य निधि भवन, वजीरपुर इंड. एरिया, नई दिल्ली–110052 के पास जमा कर दिया गया है। उक्त राशि का दावा करने के लिये संबंधित सदस्य/पूर्व सदस्य को अपना यूएएन जनरेट/अपडेट करना होगा। पूछताछ के लिये आप trust@escortskubota.com पर ईमेल भेजकर श्री पी.सी. जोशी से अथवा निम्नलिखित किसी भी पते पर सम्पर्क कर सकते हैं:

i. 403, 4था तल, डीएलएफ टावर–बी, जसोला, नई दिल्ली–110025
ii. 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा–121003

कृत्ते, एस्कोर्ट्स लिमिटेड एम्पलॉयीज प्रोविडेन्ट फंड ट्रस्ट
हस्ता./–
ट्रस्टी

UMMEED

उम्मीद हाउसिंग फाइनांस प्रा. लि.

सीआईएनः U65922HR2016PTC057984
पंजीकृत कार्यालयः यूनिट 809–815, 8वीं मंजिल, टॉवर–ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर–61, गुरुग्राम–122002 (हरियाणा)

मांग सूचना [सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत]

चूंकि, ऋण खाता एनपीए बन चुकी है, अतः वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने तालिका में नीचे दिये गये ऋणधारक/आवेदक/गारंटर/मार्टगैजर को 60 दिनों की मांग सूचना जारी की थी। सूचना के अनुसार यदि ऋणधारक 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उस राशि की वसूली गिरवी सम्पत्ति/नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति की नीलामी से की जानी थी। अतः ऋणधारकों को सूचित किया जाता है कि मांग सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज तथा खर्चे के साथ सम्पूर्ण ऋण राशि का भुगतान करें अन्यथा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) तथा 14 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी नीचे वर्णित रूप में गिरवी सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री के लिये उसका कब्जा करेंगे।

ऋणधारक ध्यान रखें कि अधिनियम, 2002 की धारा 13 (13) के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति के बाद आप प्रतिभूत क्रेडीटर को पूर्व सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से प्रतिभूत परिसम्पत्ति का अंतरण करने से निषिद्ध किये गये हैं।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (8) के साथ पठित नियम 3 (5) के प्रति आकृष्ट की जाती है कि ऋणधारक नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व नीचे वर्णित सम्पूर्ण बकाया देयता का भुगतान कर अपनी प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये अधिकृत होंगे।

ऋणधारक/आवेदक/गारंटर/मार्टगैजर का नाम	धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	गिरवी सम्पत्ति का विवरण
1. सुदीप सिंह, पुत्र रामधन (ऋणधारक), 2. पप्पी देवी, पत्नी सुदीप सिंह (सह-ऋणधारक) दोनों निवासी: केसर नागला भोण्डसी, गुरुग्राम, हरियाणा 122102, साथ ही: चौराहा के पास, गनवड़ी कला, तहसील-गंगापुर सिटी, अलमदपुर, सवाई माधोपुर, राजस्थान-322201 ऋण सं.: LXJNP03620-210009361 एवं LXJNP04622-230017402, ऋण अनुबंध तिथि: 26 नव. 2020 एवं 15 जून, 2022 ऋण राशि: रु. 500000/- एवं रु. 100000/-	5 जून, 24 रु. 298493/- तथा रु. 65038/-, कुल राशि: रु. 3,63,531/- (रु. तीन लाख तिरेसठ हजार पांच सौ इकतीस मात्र) 5 जून, 2024 को + 6 जून, 2024 से आगे का ब्याज तथा अन्य चार्जेज	भोण्डसी, तहसील-सोहना जिला, गुड़गांव, हरियाणा में स्थित सम्पत्ति एरिया माप 120 वर्ग याईस, खेवत/खाता नं. 948/903 का भाग, खतौनी नं. 1113, मुस्तिल नं. 205, किल्ला नं. 6(8-0), मुस्तिल नं. 206, किल्ला नं. 10/2(4-0), 11(8-0), 12(8-0), मुस्तिल नं. 205, किल्ला नं.7/2(4-0) का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दी: पूर्व: आरजी-अन्य, पश्चिम: आम रास्ता, उत्तर: आम रास्ता, दक्षिण: आरजी अन्य

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 15 जून, 2024

प्राधिकृत अधिकारी, श्री गौरव त्रिपाठी, मोबा. 9650050701
उम्मीद हाउसिंग फाइनांस प्रा.लि.

सार्वजनिक सूचना

(दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा–102 के अंतर्गत)

मैसर्स बिमला मारू फैशन प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर सुश्री बिमला माहेश्वरी के लेनदारों के ध्यानार्थ हेतु

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, न्यायालय–III, नई दिल्ली ने आईबीसी, 2016 की धारा 100 के अंतर्गत सीपी सं. (आईबी)–45(एनडी)/2022 और आईए–258/2024 में सुश्री बिमला माहेश्वरी, निवासी डी–5/3, चतुर्थ तल, राधाधाम सोसाइटी, चैतन्य विहार फेज I, वृंदावन, उत्तर प्रदेश–281121 (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) के विरुद्ध अर्थात दिनांक 13.06.2024 को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

सुश्री बिमला माहेश्वरी के लेनदारों को इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर अर्थात 06.07.2024 तक या उससे पहले अपने दावे सबूत के साथ एनसीएलटी, कोर्ट– III, नई दिल्ली द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल श्री परमजीत सिंह भाटिया को इस पते सी–39, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201011, मेल आईडी– bhatiaparam.s@gmail.com पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदारों को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर हेतु दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7 के अंतर्गत निर्धारित फॉर्म बी में समाधान पेशेवर के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **06.07.2024** होगी। लेनदार अपने दावों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्न लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:

https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

नोटः सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास की सजा दी जाएगी।

तिथि 15–06–2024
स्थानः गाजियाबाद

हस्ता/–
परमजीत भाटिया
समाधान पेशेवर–
सुश्री बिमला माहेश्वरी की दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के मामले में,
मैसर्स बिमला मारू फैशन प्राइवेट लिमिटेड की व्यक्तिगत गारंटर
आईबीबीआई पंजीकरण सं. **IBBI/IPA-001/IP-P00961/2017-2018/11582**
पंजीकृत ईमेल आईडीः **bhatiaparam.s@gmail.com**, मो. **9920128849**
पत्राचार पताः सी–39, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201011
एएफए वैधता 21.12.2024 तक

SINGER

सिंगर इंडिया लिमिटेड

(CIN: L52109DL1977PLC025405)

पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालयः ए–26/4, द्वितीय तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली –110044
टेलीः +91-11-40617777, **टोल फ्री नं.** 1800-103-3474
ई–मेलः secretarial@singerindia.com, mail@singerindia.com, **वेबसाइटः** www.singerindia.com

46वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में जानकारी

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के सभी लागू प्रावधानों उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीयन विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2022, 10/2022 एवं 09/2023 और सभी संगत परिपत्रों (संयुक्त रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसम्बर, 2020, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 एवं अन्य संगत परिपत्रों (संयुक्त रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित), जिसमें आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम के आयोजन की अनुमति दी गई है, के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी व्यवसायों के निष्पादन के लिए सिंगर इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 46वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 17 जुलाई, 2024 को दोप. 01.30 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं।

अधिनियम, सेबी सूचीयन विनियम, एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में 46वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 21 जून, 2024 को भेज दी गई हैं जिनके ई–मेल आईडी कंपनी/इसके रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (''डिपॉजिटरी'') के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त कथित 46वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.singerindia.com, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है और डाउनलोड की जा सकती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथासंशोधित और सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 44 के अनुसरण में कंपनी अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग सिस्टम (संयुक्त रूप से ''इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग'' के रूप में संदर्भित) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग सुविधा और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम की सुविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

कंपनी ने निदेशक मंडल ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया या अन्यथा रिमोट ई–वोटिंग एवं एजीएम में ई–वोटिंग की जांच के लिए मैसर्स वरुणा मित्तल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का परिणाम लागू नियमों के अधीन निर्धारित समय–सीमा के भीतर घोषित किया जाएगा। परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.singerindia.com, स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी प्रदर्शित किया जाएगा।

अधिनियम एवं नियम के अनुसरण में विवरण निम्नानुसार हैं:

- रिमोट ई–वोटिंग रविवार, 14 जुलाई, 2024 को प्रातः 9:00 बजे (भा.मा.स) प्रारंभ होगी और मंगलवार, 16 जुलाई, 2024 को सायं 5:00 बजे (भा.मा.स) समाप्त होगी। कथित तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि अर्थात 10 जुलाई, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल होगा, केवल वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का पात्र होगा। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 10 जुलाई, 2024 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयर के अनुपातिक होगा। ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट–ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकता है। लॉगइन विवरणों के लिए पूरी प्रक्रिया बैठक की सूचना में दी गई जो कि कंपनी की वेबसाइट www.singerindia.com पर उपलब्ध है।
- ऐसे सदस्य जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम में ई–वोटिंग के दौरान वोट देने के लिए योग्य होंगें। सदस्यगण जिन्होंने बैठक से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित होने वाली एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, वह इसे केवल सूचना का प्रयोजन मात्र समझे।
- सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराया है, वे एजीएम से पूर्व या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए, कंपनी/आरटीए या डिपॉजिटरी के पास अपना ई–मेल पंजीकृत/अपडेट करा सकते हैं। ऐसे सदस्यगण जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए ई–मेल पता पंजीकरण की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है जो कि कंपनी की वेबसाइट www.singerindia.com पर उपलब्ध है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या 022 – 4886 7000 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे को ई–मेल evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

बोर्ड के आदेश से
कृते सिंगर इंडिया लिमिटेड
हस्ता/–
रुपिंदर कौर
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 14 जून 2024

www.readwhere.com